न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 140/2022

GCMS No. : 2022/295

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण :–**
अजय कुमार त्रिपाठी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर		1. मुकेश राव पुत्र भंवर सिंह राव, सेल्स मैन, Multi Purpose Stall, प्लेटफार्म नं. 1, रेलवे स्टेशन, पाली मारवाड, घर का पता – रेलवे स्टेशन के पास पाली राज. 306421 2. अशोक कुमार भाटी, वेंडिग कांट्रेक्टर, रेलवे स्टेशन के सामने लूनी, जोधपुर राज. 306421

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 52

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांक : 20. 8. 2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने से प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थापित है तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसुचना फाईल नम्बर 1(42) 2011/रेल्वे/एफ.एस.एस.ए. आई दिनांक 28.03.2012 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है और उत्तर पश्चिम रेल्वे के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षैत्र उनके कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी दिनांक 14.09.2021 को दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 2 की Multo Purpose Stall, प्लेटफार्म नं. 1, रेलवे स्टेशन, पाली मारवाड पहुंचा। जहा पर मुकेश राव यात्रियों को खाद्य पदार्थ बेच रहा था। जिसे अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। स्टॉल का निरीक्षण करने पर पाया कि स्टॉल में Athana Mirchi Puja Brand रखा पाया जिसे मुकेश राव यात्रियों को बेच रहा था। जिसमें मिलावट का सन्देह होने पर सरकारी जांच हेतु Athana Mirchi Puja Brand का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर कि जिसके लिए दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर स्वतत्रं गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजुद नही होने से साथ आये विरेन्द्र सिंह टांक, CHI/NWR/पाली मारवाड को गवाह बना कर हस्ताक्षर करवाये, जिसकी एक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned with ACE Scanner

प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया कि Athana Mirchi Puja Brand का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 04 पैकेट Athana Mirchi Puja Brand वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 280/– रूपये नकद मुकेश राव को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर मुकेश राव, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। स्टॉल से खरीदशुदा Athana Mirchi Puja Brand को नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं मुकेश राव की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर मुकेश राव, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं डी.ओ. का कोड एवं सिरियल नम्बर एनडब्ल्युआर–760 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं मुकेश राव व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को गणपत एच.के.ए. जोधपुर अधीन सी.एच.आई. जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। मुकेश राव की स्टॉल से लिया गया नमुना संख्या एनडब्ल्युआर–760 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/571/एक्ट/2021/669 दिनांक 24.09.2021 के अनुसार Misbranded (मिथ्याछाप) पाया गया, जिसकी सुचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Misbranded (मिथ्याछाप) Athana Mirchi Puja Brand का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फार्म नम्बर 5ए अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.09.2021 को अप्रार्थी संख्या 01 की स्टॉल से मिलावट का सन्देह होने की स्थिति में Athana Mirchi Puja Brand का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय किया जाकर नियमानुसार उत्पाद पर नमूना कोड एवं क्रम संख्या एनडब्ल्युआर 760 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। उक्त समस्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के प्रावधानों के तहत की गई है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned with ACE Scanner

Athana Mirchi Puja Brand का नमुना कोड संख्या एनडब्ल्युआर 760 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया Athana Mirchi Puja Brand का नमुना मिथ्याछाप स्तर (Misbranded Food) under Section 3(1)(zf)(C) (i) as per Food Safety and Standards Act 2006 पाया गया, जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय/विनिमयन करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों का उल्लघंन है तथा धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) Athana Mirchi Puja Brand का उत्पादन/विक्रय/विनियमन करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 02 पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये कुल 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली राजस्थान

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

निर्णय आज दिनांक 20/8/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

Scanned with ACE Scanner